।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 308 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 14 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021).

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र सं0 2777 / 1जी–5095(रा0रा0प्रा0) दिनांक 02.06.2023 .

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ दिनांक 29.05.2023 को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आयोजित एफ0आर0सी0एम0 की बैठक के कार्यवृत्त संलग्न किया गया है, जिसमें प्रश्नगत परियोजना में निम्न सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा है।

प्रस्ताव पर परियोजना प्रस्तावक और संबंधित डीएफओ के साथ विस्तार से चर्चा की गई, यह नोट किया गया कि इस मामले पर 25–11–2022 को आयोजित एफआरसीएम में भी चर्चा की गई थी। हालाँकि इस प्रतिक्रिया में एक उत्तर प्रस्तुत किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव का मूल्यांकन एफआरसीएम में लिए गए निर्णय के अनुसार नहीं किया गया था, बैठक के दौरान, केएमएल फाइल की समीक्षा की गई, और यह देखा गया कि गाँव पहले से ही मौजूदा सड़क के पास है, गाँव तक कनेक्टिविटी अभी भी आवश्यक है, राज्य सरकार गाँव के उत्तरी हिस्से से एक सड़क का प्रस्ताव कर सकती है, जिसके लिए कम घने जंगल की आवश्यकता होगी और कम संख्या में पेड़ प्रभावित होंगे। हालाँकि उपयोगकर्ता एजेंसी ने एक औचित्य प्रदान किया है कि किसान उस हिस्से में अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं, जो घने जंगल को खंडित करने का स्वीकार्य औचित्य नहीं हो सकता है, चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार, यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित संरेखण स्वीकार्य नहीं होने के कारण संशोधित प्रस्ताव गांव के बगल में स्थित है से प्रस्तुत कर सकती है,

उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा नये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है परन्तु आप द्वारा अपने पत्र सं0 972 / 1सी0वन दिनांक 24.06.2023 से एक बार पुनः उक्त प्रस्तावित समरेखण पर विचार करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, परन्तु उपरोक्त कार्यवृत्त में यह उल्लेख है कि प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गांवो को सड़क से जोड़ने हेतु समरेखण प्रस्तावित किया गया है वह अभी भी गांवो को नही जोड रहा है। के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट आख्या या संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर उपरोक्त समस्त बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner